न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सांखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या ::– 48/14 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. मातादीन पुत्र नत्थूसिंह जाति राजपूत

2. हरिसिंह पुत्र नत्थूसिंह जाति राजपूत

निवासीयान ग्राम बास नरबाद तन चतरपुरा तहसील बानसूर

जिला अलवर राजस्थान हाल निवासी 1029/10 नन्दानगर

इन्दौर (मध्यप्रदेश) :---------- अपीलांट

बनाम

1 सुप्यार देवी पत्नि रामचन्दर सिंह जाति राजपूत
2 सुमित्रा देवी पुत्री रामचन्दर सिंह जाति राजपूत
3 कमला देवी पुत्री रामचन्दर सिंह जाति राजपूत
4 बिमला देवी पुत्री रामचन्दर सिंह जाति राजपूत
5 सरस्वती देवी पुत्री रामचन्दर सिंह जाति राजपूत
6 शारदा देवी पुत्री रामचन्दर सिंह जाति राजपूत
समस्त निवासीयान बास नरबद तन चतरपुरा तहसील बानसूर
जिला अलवर राजस्थान
7 तहसीलदार बानसूर लैंड होल्डर

:------- रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलेक्टर,बानसूर
दिनांक 22.3.2013

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री महेश चन्द शर्मा

2. वकील रेस्पो0 1 से 6 :– श्री राजेश गुप्ता

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

निर्णय दिनांक 16.02.2021

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर, बानसूर द्वारा राजस्व वाद संख्या 36/2008 में पारित निर्णय दिनांक 22.3.2013 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर0 टी0 एक्ट प्राथमिक तौर पर डिक्री किया हैं, जिसके खिलाफ यह अपील प्रस्तुत की गई है ।

2 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि अपीलाधीन निर्णय अपीलांट की इकतरफा में पारित किया गया है । इसलिये अपीलाधीन निर्णय की समय पर जानकारी नहीं हो सकी । अतः जानकारी के अभाव में हुई देरी को कंडोन किया जाकर अपील जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद शुमार की जावे । उन्होंने आगे तर्क दिये कि अपीलांट प्रतिवादी ग्राम बास नरबद तहसील बानसूर नहीं रहते हैं, बल्कि इन्दौर मध्यप्रदेश में रहते हैं । हमारी जो तामील कराई गई है, वह बास नरबद तहसील बानसूर के पते पर कराई है, जो कि फर्जी तामील है । हमको सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया । हमारी सम्यक रूप से तामील नहीं कराई गई है । जो समन रजिस्टर्ड डाक से भेजे गये थे, उन पर सही पता अंकित नहीं है । हमारी पीठ पीछे से अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर हमारी सुनवाई हेतु प्रकरण रिमांड किया जावे ।

3 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0, का कथन है कि यह अपील मियाद बाहर है । देरी का संतोषजनक कारण नहीं बताया है । इसलिये मियाद बिन्दू पर ही अपील खारिज की जावे । उन्होंने आगे तर्क दिये कि इनकी प्रोपर तामील हुई है । तामील कराने में सी0 पी0 सी0 के प्रावधानों की पूर्णतया पालना की गई है । विवादित भूमि संयुक्त खाते की भूमि है, जिस पर अभी प्राथमिक डिक्री पारित हुई है । कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होकर अंतिम डिक्री पारित होना शेष है । इस स्टेज पर इनको किसी प्रकार की रिलीफ नहीं दी जा सकती । अतः अपील खारिज की जावे ।

4 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । सर्वप्रथम तामील के बिन्दू पर गौर किया । इस सम्बन्ध में अपीलांट प्रतिवादीगण को भेजे गये समनों का अवलोकन किया । अपीलांट प्रतिवादीगण को भिजवाये गये समनों पर तामील कुनिन्दा ने रिपोर्ट की है कि ग्राम बास नरबद में नहीं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

मिली, भोपाल मध्यप्रदेश में रहते हैं । अपील पत्रावली में रजिस्टर्ड डाक की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है, जिनके अवलोकन से सिद्ध है कि रजिस्टर्ड डाक से जो तामील कराई गई है, उस पर भी ग्राम बास नरबद तहसील बानसूर का पता अंकित है । जब तामील कुनिन्दा ने रिपोर्ट कर दी थी कि प्रतिवादी हरिसिंह व मातादीन ग्राम बास नरबद में नहीं रहते हैं, भोपाल मध्यप्रदेश में रहते हैं तो वादी का यह दायित्व हो जाता है कि सही पते पर रजिस्टर्ड डाक से तामील कराते, जिस ओर विद्वान तहत अदालत ने भी गौर नहीं किया । इस प्रकार सिद्ध है कि प्रतिवादी अपीलांट की तामील में सी0 पी0 सी0 के आदेश 9 के नियमों की पालना नहीं की गई है । चूंकि अपीलांट प्रतिवादी की सम्यक रूप से तामील नहीं हुई है । ऐसी स्थिति में नरम रूख अपनाया जाकर देरी को कंडोन किया जाता है और प्रकरण अपीलांट की सुनवाई हेतु रिमांड किये जाने योग्य है ।

5 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.3.2013 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि वो उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करें । उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत अदालत में दिनांक 17.03.2021 को उपस्थित हों ।

6 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/2/2021

(अशोक कुमार सोरखेला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर